लगातार सड़क हादसों से दहशत में व्यवसायी, दो दिनों में दो की मौत

- व्यवसायियों ने रखी शहर और सख्त कार्रवाई की मांग
- बिक्रमगंज-आरा मुख्य मार्ग पर बेलगाम वाहनों पर नियंत्रण नहीं होने से बढ़ रहीं दुर्घटनाएं

प्रतिनिधि, बिक्रमगंज.

बिक्रमगंज-आरा मुख्य मार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने शहर के व्यवसायियों में भय और नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है. बीते दो दिनों में अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो व्यवसायियों की मौत के बाद लोग शाम में सड़क पर निकलने से डरने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बालू लदे ट्रकों और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण नहीं होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं. जानकारी के अनुसार बुधवार की रात करीब नौ बजे विक्रमगंज-आरा रोड पर शिवपुर हॉल्ट के समीप रूपा हार्डवेयर के संचालक तेतुनी निवासी सरोज कुमार गुप्ता सड़क दुर्घटना का शिकार हो गये. बताया जाता है कि वे घरेलू सामान कर बाइक से लौट रहे थे. इसी दौरान एक फिकअप वाहन के अचानक चकमा देने से उनका संतुलन बिगड़ गया और सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक के पीछे कोई चमकीली लाइट या डिपर नहीं जल रहा था, जिससे अंधेरे में सरोज कुमार गुप्ता ट्रक को देख नहीं सके. हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गयी. पुलिस को शव निकालने में करीब एक घंटे का समय लगा. बताया जाता है कि उनकी शादी आगामी जून माह में होने वाली थी और घर में तैयारियां चल रही थीं. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

मृतक सरोज कुमार गुप्ता का फाइल फोटो .

मृत बीरेंद्र सिंह कुशवाहा का फाइल फोटो.

शनीवनी स्टोर के मालिक की भी हादसे में गयी जान : उधर, बुधवार की सुबह बिक्रमगंज पानी टंकी के समीप बिराजन मशीनरी स्टोर के मालिक और सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के बारण गांव निवासी बीरेंद्र सिंह कुशवाहा भी सड़क हादसे का शिकार हो गये. वे बाइक से अपनी दुकान खोलने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार एक स्कूल वैन ने उन्हें टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल बीरेंद्र सिंह को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी.

बेलगाम रफ्तार पर रोक लगाने की मांग : लगातार दो व्यवसायियों की मौत से व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश है. भाजपा नेता सहज सत्यम सहित मदन प्रसाद वैश्य ने कहा कि पुलिस को सड़कों पर सख्त गश्त बढ़ानी चाहिए, ताकि ट्रकों और अन्य वाहनों की बेलगाम रफ्तार पर रोक लग सके. उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं होने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं.

नवविवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या,पति और सास हिरासत में

दिनारा. नटवार थाना क्षेत्र के रामपुर टोला गांव में एक नवविवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.मृतका की पहचान रामपुर टोला निवासी अखिलेश चौधरी की करीब 25 वर्षीय पत्नी गायत्री देवी के रूप में की गयी है. बताया जाता है कि उसकी शादी पिछले वर्ष 7 अप्रैल को हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. शादी के महज एक वर्ष बाद ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से परिवार और आसपास के लोग स्तब्ध हैं. मृतका की कोई संतान नहीं थी.जानकारी के अनुसार गायत्री देवी का शव घर में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गयी.मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही गायत्री को प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. घटना की सूचना मिलते ही नटवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया. पुलिस ने पूछताछ के लिए पति अखिलेश चौधरी और उसकी सास को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, 12 लोग गिरफ्तार

काराकाट. थाना क्षेत्र के संसारडिहरी गांव में मंगलवार को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान दोनों ओर से लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले. घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद वह तेजी से वायरल हो गया. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि प्रभात खबर नहीं करता है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.प्रभारी थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार राम ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में एक पक्ष के शांति कुमार, कन्हैया पासवान, नीरज कुमार, भीखम पासवान, सुरेंद्र पासवान और चिंटू कुमार उर्फ शांति कुमार शामिल हैं. वहीं दूसरे पक्ष से अंकित कुमार, प्रेम शंकर पासवान, दाया शंकर पासवान, जय शंकर पासवान और धीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया. प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon !
सम्पत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत प्रतिभू नियत लेनदारियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा साधारण रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका प्रभारी/कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को उसमें बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तारीख/ई-नीलामी दिनांक/बिक्री "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बैठक (ओएचएस) संपत्ति उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आगामी शुल्क और भविष्य ब्याज तथा नीचे दी गई लागतों के समर्पित राशियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A (नियम 9 (1) का प्रावधान देखें)(सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

क्रमांक	शाखा का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के साथी का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई प्रभार संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) अरक्षित शुल्क (लगत राशि में) (ख) तहत कब्जा की तिथि (ग) बकाये की प्रकृति	(क) आरक्षित मूल्य (लगत राशि में) (ख) ईएमडी (ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	पीएलबी- उसरांव (239700) मेसर्स-मह्वा लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, (प्रोप: लखन प्रसाद पिता-दशरथ साह) श्री लखन प्रसाद पिता दशरथ साह (मालिक) श्रीमती हीरामुनी देवी पति लखन प्रसाद (गारंटर/बंधककर्ता) निवासी-चार्ड संख्या-07, रामगरीब नगर, मोहनिया रोड के पास कुशवाहा बाग़ समिति कोचस,जिला- रोहतास, बिहार-821112	1. अचल संपत्ति स्थिति: मौजा-कोचस, थाना संख्या-285, खाता संख्या-294, प्लॉट संख्या-1140, जिला-रोहतास, क्षेत्रफल-2.0 डेसिमल जिसका आराजी डीड संख्या-4084 दिनांक 17.03.2023 लखन प्रसाद पिता दशरथ साह के नाम पर है। चौहद्दी: उत्तर-रामचंद्र सिंह एवं राम प्रसाद सिंह,दक्षिण-राजद हे फीट लखन प्रसाद एवं रामाश्रय सिंह, पूर्व-राम कृपाल सिंह, दक्षिणम-राजसिंघम सिंह	क) 03.06.2025 ख) ₹.96,32,027.27 - अतिरिक्त ब्याज ग) 09.09.2025 घ) सांकेतिक	क) ₹ 21,26,000/- ख) ₹ 2,12,600/- ग) ₹ 50,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां अंकन अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अपेक्षितानुसार द्वारा वेबसाइट https://baarkset.com या उपरान्त ई-नीलामी पोर्टलों के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://baarkset.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकारते हैं, या किसी भी कारण बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना (विक्रय की तिथि से 30दिनों तक लागू होगा) प्राधिकृत अधिकारी

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भारत की जनगणना-2027
हमारी जनगणना, हमारा विकास

जनगणना का प्रथम चरण
02 मई से 31 मई 2026 तक
मकान सूचीकरण एवं आवासों की गणना (HLO) होगा।

प्रगणक घर-घर जाकर 33 प्रश्नों के अंतर्गत ही जानकारी प्राप्त करेंगे।

आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित
सभी डेटा गोपनीय रहेगा और केवल जनगणना हेतु उपयोग किया जाएगा।

कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा
न आधार, न बैंक विवरण, न संपत्ति से जुड़ा कोई कागजात।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें
न कोई पैसा मांगा जाएगा, न OTP, न कोई लिंक। धोखाधड़ी से सावधान रहें!

अभी पोर्टल पर जाएं
se.census.gov.in

प्रगणक जब आपके घर आएं, उन्हें उचित प्रवेश दें, पूरा सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं।
जनगणना कार्य में लगे कर्मियों/प्रगणकों के कार्य में बाधा डालना या सहयोग न करना कानूनन दंडनीय है।
आपका सहयोग, सटीक जनगणना और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।

किसी भी संदेह या धोखाधड़ी की सूचना के लिए
टोल फ्री नंबर: 1855

सही जानकारी दें, सफल जनगणना में योगदान करें।

शिकायत एवं सुझाव के लिए लिंक जन शिकायत पोर्टल पर जायें।
https://biharbhumiplus.bihar.gov.in/pg/
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा जनहित में जारी।
Follow Us
#BiharRevenueAndLandReformsDept
PR No.- 002580 (Revenue)D. 2026-27

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के कक्षा–11वीं (सत्र 2026–28) में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा-2026 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों / उनके अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना

प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के पत्रांक–SAV/April-2026/119, दिनांक 20.04.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि कक्षा 11वीं में 120 सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु विद्यालय में अद्यतन 104 सीट रिक्त है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10 / सिमु०–07 / 2022–796 अनु०, दिनांक 24.05.2023 के माध्यम से संसूचित किया गया है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के कक्षा 11वीं में रिक्त सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की सहमति दी गई है। बिहार सरकार द्वारा संचालित सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के कक्षा 11वीं (सत्र 2026–28) में नामांकन हेतु योग्य अभ्यर्थियों / अभिभावकों, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाईन (Online) माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के पत्रांक SAV/April-2026/119, दिनांक 20.04.2026 के माध्यम से संसूचित **संकायवार एवं आरक्षण कोटिवार कुल रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:–**

क्र० सं०	कोटि	छात्र				छात्रा			
		विज्ञान	कला	वाणिज्य	कुल	विज्ञान	कला	वाणिज्य	कुल
1	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	06	08	08	22	05	08	08	21
2	आर्थिक रूप से कमजोर (EBC)	02	02	02	06	02	01	02	05
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	03	04	03	10	02	04	03	09
4	पिछड़ा वर्ग (BC)	02	02	03	07	01	02	02	05
5	पिछड़ा वर्ग की महिला (BC Femle)	00	00	00	00	01	00	01	02
6	अनुसूचित जाति (SC)	03	03	03	09	00	03	03	06
7	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	01	00	01	00	01
	कुल	17	19	19	55	11	19	19	49

2. **दिव्यांग कोटि (Differently Abled) :–** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश के आलोक में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय है। यथानिति छात्र / छात्राओं का विकलांगता का स्तर 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
3. आवेदक की आयु 1 मार्च, 2026 को न्यूनतम 14 वर्ष एवं अधिकतम 17 वर्ष होनी चाहिए ।
4. आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए । साथ ही, आवेदक को बिहार में अवस्थित सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
5. परीक्षा आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किए जाएँगे । किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन माध्यम को छोड़कर अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएँगे ।
6. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क **दिनांक 08.05.2026 से 14.05.2026 तक** स्वीकार किए जाएँगे।
7. **परीक्षा शुल्क :–**

(क)	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग	₹ 960/–
(ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग	₹ 760/–

8. **ऑनलाईन आवेदन करने की विधि :–** छात्र / छात्रा /अभिभावक समिति की वेबसाईट **https://www.biharsimultala.com** के माध्यम से आवेदन भरेंगे। अभ्यर्थी अथवा उनके अभिभावक अभ्यर्थी का विवरण (नाम, पिता नाम, जन्मतिथि, जाति कोटि इत्यादि) शुद्ध–शुद्ध भरेंगे। किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी अथवा उनके अभिभावक स्वयं दोषी होंगे तथा उनका आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जाएगा। भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अभ्यर्थी / उनके अभिभावक निकालकर उस पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रमाणित कराकर सुरक्षित रख लेंगे। अभ्यर्थी नामांकन हेतु चयन होने पर अग्रसारित आवेदन पत्र को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसारित करा कर नामांकन के समय प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई को अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे। अन्यथा नामांकन बाधित हो सकता है।
9. **परीक्षा आवेदन–पत्र समिति की वेबसाईट पर भरने एवं परीक्षा शुल्क के भुगतान करने की विधि क्रमवार निम्नवत् है :–**

1. Visit : https://www.biharsimultala.com → 2. Home Page → 3. Register New Candidate → 4. Login → 5. Fill Application Form → 6. Upload Photo & Signature → 7. Save & Preview Application Form → 8. Edit or Make Payment → 9. Submit → 10. Print Application.

9.1 **छात्र / छात्रा के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करने के संबंध में :–** सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, 2026 के आवेदन पत्र में रंगीन फोटो (अद्यतन) एवं हस्ताक्षर निम्नवत् रहना अनिवार्य है :–
i. **रंगीन फोटो का साईज एवं प्रकार :**
Image Size : 35mm × 30 mm का हो। (20–100 KB) के बीच jpg/jpeg फॉरमेट में हो।
Head Size/Face Size : 25 mm × 20 mm (approx 60 % to 70%)
Background : Plain White or Light Green
ii. स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm width × 1.5 cm height) में हो तथा आकार 10–50 KB से अधिक न हो।

9.2 **प्रमाण पत्रों को अपलोड करना :–**
i. मैट्रिक (10वीं) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)। ii. आवासीय प्रमाण पत्र। iii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र । iv. अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र (आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति / अद्यतन क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से) । v. दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में चिहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तसंबंधी प्रमाण पत्र ।

9.3 **परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया :–** ऑनलाईन आवेदन–पत्र Save करने के पश्चात Preview button क्लिक कर Form जाँच कर लेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो Edit detail पर क्लिक कर त्रुटि सुधार कर लेंगे। इसके पश्चात Save कर लेंगे। इसके बाद Payment button पर क्लिक कर Payment Gateway का चयन कर Debit Card/Credit Card/Net Banking/UPI के माध्यम से परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान किया जाए। अभ्यर्थी / उनके अभिभावक भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि की निकासी के पश्चात् समिति के खाता में परीक्षा शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.4 ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाईट पर भरने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाईल पर आवेदन संख्या भेजा जाएगा और अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर यूजर आई०डी० होगा। यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी / अभिभावक भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखें। **इस यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें।**

10. **प्रवेश परीक्षा :–** पूर्णतः वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा ऑनलाईन विधि से ली जाएगी, जिसके प्रश्नों की संख्या 120 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक प्रदान किए जाएंगे। यह परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट की होगी। इसमें 15 मिनट का समय "Cool off" समय होगा तथा अभ्यर्थी को प्रश्नपत्र हेतु 2 घंटे का समय उपलब्ध होगा।

प्रवेश परीक्षा विषय का विवरण निम्नवत् है, जिसका पाठ्यक्रम का स्तर दसवीं आधारित होगा।

प्रवेश परीक्षा

क्र.सं.	विषय	अंक
01	गणित	30
02	विज्ञान	30
03	अंग्रेजी	30
04	बौद्धिक क्षमता	30
	कुल अंक	120

11. **अर्हतांक :** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संलग्न संख्या–ज्ञापांक 11/आ०नि०–1/06/2017 सा०प्र० 962 पटना–15, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित **न्यूनतम अहर्तांक निम्नवत् होगा :–**

क्र.सं.	कोटि	अर्हतांक
1.	सामान्य	40% अंक
2.	पिछड़ा वर्ग	36.5% अंक
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	34% अंक
4.	अनु०जाति/अनु०जनजाति/महिला वर्ग/दिव्यांग	32% अंक

12. प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर रोस्टर कोटिवार मेधासूची से कोटिवार छात्र / छात्रा वार रिक्तियों की संख्या के 05 (पाँच) गुणकों में कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उक्त के पश्चात् विद्यालय द्वारा काउंसेलिंग (Counselling) के माध्यम से मेधाक्रम, आरक्षण कोटि एवं रिक्ति के आधार पर नामांकन की कार्यवाई की जाएगी ।
13. **नॉर्मलाइजेशन (Normalization) :–** अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रवेश परीक्षा एक से अधिक पालियों (Sittings)/ तिथियों (Dated) में आयोजित की जा सकती है । वैसी स्थिति में अलग–अलग पालियों में अलग–अलग प्रश्न पत्रों के अलग–अलग कठिनाई स्तर होने के कारण परीक्षाफल तैयार करने के क्रम में Normalization की विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि किसी भी विशेष पाली के किसी भी अभ्यर्थी को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो ।
14. प्रवेश परीक्षा में समान अंक वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा के प्राप्तांक समान होने एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में लॉटरी (Lottery) के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
15. प्रवेश परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर तैयार कोटिवार मेधा सूची से मेधा क्रम में छात्र/छात्राओं को नामांकन के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा, जिसमें सफल होने के उपरांत ही उन्हें प्रवेश की स्वीकृति दी जाएगी।
16. प्रवेश परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को नामांकन के समय जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षित कोटि के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) आवासीय प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि प्रमाण–पत्र, निश्चयता प्रमाण–पत्र (निःशक्तता कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए), विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र, बैंक खाता की छायाप्रति, माता–पिता के आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा छायाप्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन का दावा निरस्त कर दिया जाएगा।
17. उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय, पटना के क्षेत्राधिकार में होगा।
18. प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा।
19. उक्त परीक्षा से संबंधित पृच्छा के लिए हेल्पलाईन नम्बर : 9430429722 एवं 0612–2232239 पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा किसी प्रकार की सूचना ई–मेल आई०डी० bseb@antiersolutions.com पर भेजा जा सकता है।
20. अन्तिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त आवेदन से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु समा मान्य नहीं होगा।

विज्ञप्ति संख्या– पी.आर. 99/2026
परीक्षा नियंत्रक (विधि)

पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM
INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT BODHGAYA
(AN AUTONOMOUS BODY UNDER MINISTRY OF TOURISM, GOVT. OF INDIA & DEPT. OF TOURISM, GOVT. OF BIHAR)
NCHMCT
BIHAR TOURISM

DEGREE IN HOTEL MANAGEMENT

3 Years B.Sc. in Hotel Management
1½ Year Diploma in F & B Service
1½ Year Diploma in Food Production

DRCC Facility Available (बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड) for Hotel Management Degree Course
100 % Job Assistance (देश एवं विदेश के विभिन्न पांच सितारा होटलों, एयर लाइन्स, क्रूज लाइन्स सहित सरकारी एवं अर्धसरकारी विभागों में नौकरी की सुविधा)

हेल्पलाइन नंबर : +91-8987276070, +91-9608271879, 0631-2952143
पता - गया - डोभी रोड, बोधगया - 824234
वेबसाइट : www.ihmbodhgaya.com
ई-मेल : ihmbodhgaya@gmail.com
आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है